राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1403/2011/भरतपुर.

मैसर्स सी. पी. एग्रो इण्डस्ट्रीज, रूपवास, भरतपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–ए, भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

मेघा सेठी, अधिकृत प्रतिनिधि .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर, (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 112/उपा–अपील्स/2010–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 11.02.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत पेश की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वृत–अ, भरतपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 31.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के दौरान अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में सरसों तेल की बिक्री घोषणा पत्र 'सी' के समर्थन में करना घोषित किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी ने अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र 'सी' की जाँच क्रेता व्यवहारीगण के राज्य बिहार से कराये जाने पर पाया गया कि प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र 'सी' वैध फॉर्म नहीं हैं क्योंकि प्रस्तुत किये गये प्रपत्र बिहार राज्य के बिक्री कर विभाग के क्रेता व्यवहारियों के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से जारी किये गये प्रपत्र नहीं हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने ऐसे प्रपत्रों को मिथ्या व बोगस ठहराते हुये कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का विरोध करते हुए कथन किया कि उनके द्वारा विधिक घोषणा पत्र 'सी' प्रस्तुत किये गये थे। व्यवहारी द्वारा किये गये समस्त संव्यवहारों का इंद्राज उसकी लेखा–पुस्तकों में किया हुआ है। क्रेता व्यवहारियों

लगातार.....2

द्वारा फर्जी/बोगस घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने में उसकी कोई सहभागिता नहीं है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण विधिविरूद्ध किया गया है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी कर निर्धारण आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उक्त कथन के साथ अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन किया तथा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया

6. हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत 'सी' फॉर्म बिहार राज्य से जांच कराये जाने पर मिथ्या/बोगस पाये गये, जिसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा पत्रों को अस्वीकार करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 790/2011/भरतपुर मैसर्स [redacted] श्री भगवती ऑयल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर व अन्य प्रकरणों में दिनांक 25.06.2015** को निर्णय पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज की पुष्टि की गयी है, जबकि वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2010) 26 टैक्स अपडेट 01 श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स** के आलोक में अपास्त किया गया है। हस्तगत प्रकरण माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उक्त न्यायिक दृष्टान्त से पूर्णतः आच्छादित है, जिससे यह पीठ सहमत होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की जाती है तथा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश अपास्त किये जाते हैं।

7. परिणामस्वरूप उपरोक्तानुसार अपीलार्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष